

## श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत की कृषि स्थिति पर अजय जाखड़ और परांजाय गुहा ठकुराता के साथ वार्तालाप

**परांजाय गुहा ठकुराता (पीजीटी)** – हम भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति पर कुछ सामान्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि सरकार किसानों की ओर बहुत कम ध्यान देती है। यद्यपि भारत देश के बारे में यह छाप बनी हुई है कि लोग गांव में रहते हैं तो भी कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में अंश कम हो रहा है और कृषि पर निर्भर लोगों का भाग भी कम होता जा रहा है। इसकी भारत में आशा नहीं थी। सबसे बड़ी बाधा यह है कि इस देश की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर सीधे निर्भर है जबकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होकर केवल 14 प्रतिशत रह गया है।

**आशीष बहुगुणा** – निःसंदेह कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हमें इस संदर्भ में अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं इस मंत्रालय में काफी लंबे समय से हूँ। वर्ष 2002 से मैं संयुक्त सचिव था। लगभग 11 वर्ष पहले इस कृषि मंत्रालय का बजट आज के बजट का दसवां भाग था। आप इस क्षेत्र में सरकार के कार्यों को कैसे अंकना चाहते हो? इनमें से एक तरीका, यद्यपि यह संपूर्ण उचित नहीं और शायद सही उपाय भी न हो, यह है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र को कितनी निधियां उपलब्ध कराई गईं, इसे देखा जाए। पिछले 11 वर्षों में इसमें 10 गुना वृद्धि की गई है जो किसी भी मायने में कम नहीं है।

**पीजीटी** – प्रत्येक वर्ष क्या यह दुगुनी हो रही है?

**आशीष बहुगुणा** – मैं अंकगणित के संबंध में आश्वस्त नहीं हूँ न ही रेखागणित के अनुसार दुगुनी वृद्धि का अनुमान है। किंतु यह पिछले दस वर्षों में पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है। क्या पिछली दो योजनाओं की अवधि की तुलना में इस योजना अवधि में कृषि की विकास दर में सरकार के इस प्रयास और अन्य प्रयासों से वृद्धि हुई है, इसे जांचने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन देने को बढ़ाया गया है, ताकि कृषि की योजना लागत के अंश में उनका भाग बढ़ सके। ऐसा करने से कृषि क्षेत्र में राशि की मात्रा पर्याप्त बढ़ी है।

शायद इस पूरी राशि का उपयोग उतने कारगर ढंग से नहीं किया जा रहा है जैसे करना चाहिए किंतु निःसंदेह यह इसी क्षेत्र में खर्च हो रही है और लाभांश का भुगतान किया जा रहा है। फिर भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं।

31 मार्च, 2012 को समाप्त ग्यारहवीं योजना की अवधि में कृषि की औसत विकास दर 3.8 प्रतिशत है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जिसमें मछली पालन का भाग 3.8 प्रतिशत शामिल है, में 3.64 प्रतिशत की विकास दर देखी गई है किन्तु वन उत्पाद और लोगिंग के कारण यह कम होकर 2.2 प्रतिशत रह गई। वन उत्पाद और लोगिंग में धीमी विकास दर कोई बुरी बात नहीं है, विशेषकर लोगिंग का भाग। अतः 2.5 और 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.8 प्रतिशत का विकास अच्छा है। यह आशा की किरण है जिसे देखने की आवश्यकता है। एक देश के रूप में उसका विश्लेषण करने पर हम कुछ निराश हो जाते हैं। यदि आप विस्तार में देखे तो पहले बहुत से राज्य पिछड़े माने जाते थे किन्तु मध्य-प्रदेश जैसे राज्य ने वास्तव में प्रगति की है। देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा है और सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

**पीजीटी – मध्य-प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य कौन से हैं ?**

**आशीष बहुगुणा –** छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, बिहार, झारखण्ड। सबसे अधिक विकास मध्य-प्रदेश राज्य ने किया है। झारखण्ड ने भी अच्छी प्रगति दर्शाई थी किन्तु अब यह राज्य एक संवेदनशील राज्य बन गया है जहाँ कार्य करना बहुत कठिन है। वास्तिवक्ता यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का भाग 14 प्रतिशत से कम है और 55 प्रतिशत से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर हैं जो वांछित परिणाम नहीं दे पाते हैं। यह कृषि क्षेत्र पर बोझ है कि इस पर अधिक संख्या में लोग निर्भर हैं क्योंकि इस क्षेत्र से बाहर उनके लिए अवसर बहुत कम है। संभव है कि सरकार कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में अधिक लोगों को लाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है जैसे गैर कृषि रोजगार अवसरों या शहरों में अवसरों को बढ़ाने के माध्यम से कृषि स्तर बढ़ाया जाए। मैं परिवर्तन (मार्ईग्रेशन) को एक बुरा शब्द नहीं मानता हूँ।

**पीजीटी –** कृपया हमें मार्ईग्रेशन पर आपके द्वारा बताए गए दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लाईमेंट गारंटी एक्ट (एमएनआरईजीए) जैसे कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में मार्ईग्रेशन कम करना है विशेषकर फसलों के मौसम के समय। आप नेशनल सैम्प्ल सर्वे आर्गनाइजेशन के अँकड़ों को देखें।

**आशीष बहुगुणा –** मेरा मानना है कि मार्ईग्रेशन को दो भागों में बॉटा जा सकता है। पहला मज़बूर मार्ईग्रेशन जो परिस्थितियों के कारण करना पड़ता है और दूसरा स्वैच्छिक। नेशनल रूरल इम्प्लाईमेंट गारंटी एक्ट (एनआरईजीए) ने वास्तव में मज़बूर मार्ईग्रेशन की प्रवृत्ति को कम किया है, जो एक अच्छी बात है।

**पीजीटी –** कृषि की व्यवहारिकता पर बात करने से पहले हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। कृषि क्षेत्र 3.5 या 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, किन्तु अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, विशेषकर सर्विस सैक्टर।

शायद चालू वर्ष उद्योग के लिए बुरा वर्ष है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 5 या 6 प्रतिशत के बीच ही है। कृषि की विकास दर अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में अभी भी कम है। कृषि का भाग कम होता जा रहा है और वास्तव में ऑटोमोबाईल और परिवहन क्षेत्र आज के दिन कृषि के 14 प्रतिशत अंक को पार करने वाला है, किन्तु ये क्षेत्र जनसंख्या के 10 प्रतिशत भाग को भी रोजगार नहीं दे पाते जबकि कृषि क्षेत्र ने आधी से अधिक जनसंख्या को रोजगार दे रखा है। यह ढांचागत समस्या है चलती रहेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों जैसे सर्विसिज़, इण्डस्ट्रीज़ में उच्च गुणवत्ता का, उत्कृष्ट रोजगार देकर बदला जा सकता है ?

**आशीष बहुगुणा –** मैं आपके इस सवाल का जवाब अलग-अलग देना पसंद करूँगा। आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या यह है कि किसानों की जमीन के आकार का स्तर कम होकर 1.16 हेक्टेयर रह गया है जिसे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक माना जाता है। सीमित भूमि होने से किसान महंगी फसलें उगाना चाहता है जिसके लिए औजारों और विपणन सुविधाओं की आवश्यकता होती है ये सुविधाएं हमारे देश में अभी पहुंच से बाहर हैं अथवा किसान चाहता है कि सीमित भूमि के लिए इतना अच्छा मकैनिज्म हो जिससे किसान

इकट्ठे होकर एक समूह बना लें और उपलब्ध संसाधनों की सहायता से ही विषयन कर सकें। दुर्भाग्यवश इन दोनों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है और उनकी भूमि का आकार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है।

**पीजीटी – और आगे विभाजन (फैगमेंटेशन)।**

**आशीष बहुगुणा –** और विभाजन करने से व्यक्तिगत किसान और मजबूर हो जाएंगे न केवल लाभ की दृष्टि से बल्कि सभी कृषि कार्यों की संगठनात्मक व्यवहारिकता से भी। अब हमें शायद अपनी भूमि की हानि का अध्ययन करने की आवश्यकता है। संभव है यह राजनीतिक दृष्टि से विपरीत हो क्योंकि देश की अधिकतम राजनीतिक पार्टियां और अधिकतम वर्ग इसके विरुद्ध हैं।

**पीजीटी –** आप राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं और किसानों को घर बनाने के लिए भूमि और भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भूमि के समेकन (कंसोलिडेशन) की बात कर रहे हैं।

**आशीष बहुगुणा –** बिलकुल वही।

**पीजीटी –** सामान्य रूप में यह मान लिया जाए कि ये कार्य भूमि सुधार के विपरीत हैं।

**आशीष बहुगुणा –** ये हैं, यह चलता रहेगा और मेरा विचार है कि कृषि को लाभकारी बनाने में यह एक प्रमुख बाधा है। नरेगा, उदाहरण के लिए, ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ा दी है। इस कारण उत्पादन की लागत बढ़ रही है।

अतः किसानों को अब अन्य विकल्पों को तलाशना होगा जैसे माइक्रो होलिडिंग्स का मैकानाइजेशन जो अत्यधिक कठिन है। इसका समेकन करना होगा। इस क्षेत्र के लिए कोई निर्धारित लाभकारी पैमाना तैयार करना होगा क्योंकि यह क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों से भिन्न नहीं है। आर्थिक कानून तैयार करना होगा और किसानों को अनिवार्य रूप में कार्य करने का सहायक वातावरण उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना हम ये आशा करें कि कृषि क्षेत्र में स्वयं कोई चमत्कार होगा, किसानों को पर्याप्त लाभ होगा या प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि आएगी, इसके लिए केवल कमाना ही की जा सकती है।

**अजय वीर जाखड़ –** आपने कहा कि नरेगा के कारण मजदूरी बढ़ी है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का लगातार कहना है कि सिफारिशों के अनुसार मजदूरी बढ़ाने से कीमत नहीं बढ़ती है क्योंकि मूल्य बहुत अधिक हो जाएंगे और उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे।

**आशीष बहुगुणा –** मेरा विचार है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश को आपने समझा नहीं है। कृषि उत्पादन की लागत की गणना की जाती है। सिफारिश में केवल कृषि की लागत को ही शामिल किया हो, ऐसा आवश्यक नहीं। हो सकता है अन्य पहलुओं को भी समान रूप से या अधिक महत्व दिया हो किंतु उत्पादन की लागत प्रमुख कारण है। सामान्य रूप में कृषि की लागत के अंकड़े प्राप्त करने में तीन वर्ष का विलंब है। इसे

हाल ही के मूल्य वृद्धि से बाहर कर दिया गया है, थोक मूल्य सूचकांक और अन्य प्रत्येक वस्तु जो वर्तमान लागत के आंकड़े देती हैं उनको पूर्ण रूप में कारण माना जाता है।

**पीजीटी** – कुछ लोगों के लिए मान लिया जाए आर्थिक सहायता एक बुरा शब्द है किंतु अधिक आर्थिक सहायता देने का कोई विकल्प जरूरी नहीं यदि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल जाए और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं। खाद्यान्न के लिये यह कुछ सीमा तक लाभकारी हो सकता है किंतु उच्च प्रोटीन वाली वस्तुओं के लिए नहीं, क्योंकि उनमें उच्च मात्रा में खाद्य मुद्रा स्फीति देखने को मिलती है। आज खाने के पदार्थों की आदतों में बदलाव हो रहा है, लोग अनाज कम खाते हैं और उच्च प्रोटीन वाली वस्तुएं अधिक जैसे; फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, कुक्कुट पालन (पोल्ट्री) आदि। हमने कई स्थितियों में देखा है जहां पर गरीबों की वास्तविक आय कम हो गई है क्योंकि खाद्य मुद्रा स्फीति अधिक है और किसान भी खुश नहीं है। यह आपके लिए खोने की स्थिति है और बहुत से लोगों का मानना है कि हाल ही के समय में सरकार की यह सबसे बड़ी असफलता है।

**आशीष बहुगुणा** – आप परिणाम दिखाई देने से क्या समझते हैं – और मैं दिखाई देने का अर्थ परामर्श देने से समझता हूँ – दिखाई देने का अर्थ है कि अन्य वस्तुओं के लिए भी जैसे बागवानी